

गर्भाशय में ग्रीवा के कैंसर का पहले पता लगाने की आवश्यकता

6690. श्री अनन्तराय देवशंकर दबे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर दूसरा सबसे घातक रोग है और तीन से पांच प्रतिशत तक व्यस्क महिलाओं की मृत्यु इसी प्रकार के कैंसर से होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस रोग का पहले पता लगाने तथा इस रोग के निवारण हेतु देश में महिलाओं को भी शिक्षित करने से संबंधित कोई योजनाएं हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम तथा उसका जल्दी पता लगाने पर अब और बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तदनुसार कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य शिक्षा इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है।

औषधियों की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मापदण्ड

6691. श्री गोविन्द राम गिरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) औषधियों की बिक्री हेतु फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड और योग्यताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन मापदण्डों और योग्यताओं का कभी संशोधन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सामान्य उपभोक्ता की सुविधा तथा औषधियों के सही नाम की जानकारी प्रदान करने हेतु औषधि निर्माताओं के लिए प्रत्येक औषधि का नाम अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में लिखने का अनिवार्य बनाये जाने की ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०

शंकरानंद): (क) और (ख) औषधों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तें औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 65 के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। मिश्रित औषधों के लिए निर्धारित की गई अर्हता फार्मसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा फार्मस्यूटीकल कैमिस्ट्री अथवा पंजीकृत भेषजज्ञ है जैसा कि फार्मसी अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया गया है। सशोधित अर्हताओं को बताने वाली अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है जिसमें मुद्राव/आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगी गई हैं।

(ख) जी हां। 1992 में सभी राज्य आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को यह बात मुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि पैकिंग पर लगाए गए लेबल हिन्दी/संस्कृत में हों जिसके बाद अंग्रेजी में उसका वानस्पतिक नाम दिया गया हो, एलौपैथिक औषधों के लेबलों के लिए हिन्दी के प्रयोग करने की बात व्यवहार्य नहीं पाई गई है।

गुजरात में अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाना

6692. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Ayurvedic Therapy and Research

6693. SHRI TINDIVANAM
G. VENKATRAMAN:
SHRI J.S. RAJU:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be please to state:

(a) whether Government are aware of the fact that Ayurvedic treatment has discovered suitable medicines for cancer;

(b) if so, what steps have been taken to